



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2019/1232

भोपाल, दिनांक 08-07-2019

आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार विनियम, 2015 के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय में निम्नानुसार आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया जाता है-

1. डॉ. सुनीता द्विवेदी, विभागाध्यक्ष नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी
2. श्रीमती रिंकी जैन, वित्त अधिकारी
3. सुश्री मनीषा वर्मा, सहायक प्राध्यापक
4. सुश्री नीलिमा सिंह, सहायक ग्रेड-3

यह आंतरिक शिकायत समिति (ICC) उक्त विनियम के बिन्दु क्रं. 5 में वर्णित कार्यों का निष्पादन करेगी। यह समिति जेंडर संवेदनशीलता के उन्मुखीकरण के लिए समय-समय पर शैक्षिक कार्यशाला और कार्यक्रम भी आयोजित करेगी।

(मा. कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)

प्रभारी कुलमचिव

भोपाल, दिनांक 08-07-2019

पृ.क्र./अका./2019/1233

प्रतिलिपि:-

1. निज मचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिपति/कुलमचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/शाखा प्रभारी/परिभ्रम प्रभारी, खंडवा, नोण्डा, गीवा को सूचनार्थ।
3. प्रभारी वेबसाइट को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
4. संबंधित सदस्य डॉ./श्रीमती/सुश्री को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आदेश पुस्तिका।

5/7/19

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)

प्रभारी कुलमचिव